पॉलीहाउस तकनीक से खेती

8	फसल कटाई और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन
9	पॉलीहाउस में खेती के लिए सरकारी योजना

फसल कटाई और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन

फसल कटाई और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन फसल की गुणवत्ता, ताजगी और बाजार मूल्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

फसल कटाई के दौरान, फसलों को सही समय पर और उचित विधि से काटना आवश्यक है। कटाई का समय फसल की किस्म और उपयोग के आधार पर भिन्न हो सकता है। जैसे, कुछ फसलों को पूरी तरह पके हुए अवस्था में काटा जाना चाहिए, जबकि अन्य को हल्के पके हुए अवस्था में। सही उपकरण और तकनीक का उपयोग करना चाहिए ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे।

पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन में फसल की कटाई के बाद की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। इसमें सबसे पहले फसलों की सफाई और चयन की जाती है, जिसमें

गंदगी, पत्तियों और अन्य अवशेषों को हटाया जाता है। इसके बाद, फसलों को उचित तापमान और आर्द्रता पर स्टोर किया जाता है, ताकि उनकी ताजगी और गुणवत्ता बनी रहे।

फसलों की **संग्रहण** के दौरान, सही पैकेजिंग सामग्री का चयन और उपयोग महत्वपूर्ण होता है, जिससे फसलें सुरक्षित और क्षति-रहित रहती हैं। साथ ही, **विपणन** के लिए फसलों का उचित मूल्यांकन और पैकेजिंग सुनिश्चित की जाती है।

अंत में, **मूल्यवर्धन** प्रक्रियाएँ जैसे कि प्रोस्सेसिंग और पैकिंग फसलों के मूल्य को बढ़ा सकती हैं और अधिक लाभकारी बाजार अवसर प्रदान कर सकती हैं।

इन सभी उपायों का पालन करके, किसान फसलों की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं और बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रह सकते हैं।

पॉलीहाउस में खेती के लिए सरकारी योजना

पॉलीहाउस में खेती के लिए सरकारी योजनाओं और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दी जानें वाली सब्सिडी या अनुदान के बारे में. तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कई प्रदेशों की सरकार अपने अनुसार अनुदान दे रही हैं जैसे - राजस्थान राज्य की बात करें तो यहां पर कृषि विभाग की

ओर से अधिकतम 4000 वर्गमीटर के पालीहाउस के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत और लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति किसानों को 70 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है. योजना का लाभ लेने के लिए इस राज्य के किसान राजस्थान की सिंगल साइन ऑन की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर साइनइन या लॉगइन करके आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं.

उत्तराखंड

उत्तराखंड में पॉलीहाउस योजना की बात करें तो राज्य के किसानों को संरक्षित खेती करने के लिए उत्तराखंड पॉलीहाउस योजना 2024 की शुरूआत की गई है. जिसके तहत सरकार किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. इस योजना के

तहत 304 करोड़ रुपये की लागत से 17648 पॉलीहाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है. योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान आधिकारिक वेबसाइट shm.uk.gov.in पर जा कर आवेदन कर सकते हैं.

हरियाणा

हरियाणा की बात करें तो यहां पर किसानों को एक एकड़ ज़मीन में पॉलीहाउस बनाने के लिए लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 16 लाख 80 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. अगर राज्य के किसान सब्सिडी का लाभ लेकर पॉलीहाउस बनावाना चाहते हैं तो हरियाणा उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट polynet.hortharyana.govin पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

गुजरात

गुजरात की बात करें तो यह पर उद्यान विभाग की ओर से संरक्षित खेती के तहत अधिकतम 4000 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस या पॉलीहाउस निर्माण के लिए 50 फ़ीसदी का अनुदान जा रहा है, तो वहीं 500 वर्ग मीटर तक के पॉलीहाउस के निर्माण के लिए 1650 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर से 1008 वर्ग मीटर के लिए 1465 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर के निर्माण के लिए 1420 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सब्सिडी दी जा रही है अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में पॉलीहाउस या ग्रीन हाउस का निर्मण करते हैं तो मिलने वाली इन सभी सब्सिडी की दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि से आपको अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट doh.gujarat.gov.in पर जा कर ऑनलाइन

आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने जिले के उद्यान विभाग से भी संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, किसान का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आवेदन करने वाले किसान के नाम ज़मीन होना चाहिए जिसके खेत का खसरा नंबर या बी 1 पट्टे की प्रति होना अनिवार्य है।